UPEW010024572023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी(पी०ए०एक्ट)/न्यायालय कक्ष सं02, इटावा।

दण्ड प्रकीर्ण सं० 218/2023

शैलेन्द्र सिंह जाटव बनाम प्रहलाद सिंह आदि।

दिनांक 02.07.2023

रविवार अवकाश ।

दिनांक 03.07.2023

पत्रावली पेश हुयी। आवेदक के सुयोग्य अधिवक्ता को पूर्व ही सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र आवेदक द्वारा दं०प्र०संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि आवेदक शैलेन्द्र सिंह जाटव पुत्र स्व० रामनारायन लाल, निवासी ग्राम सकौआ, पो० झबरापुरा, थाना जसवन्त नगर, जिला इटावा का मूल निवासी है और अनुसूचित जाति जाटव का व्यक्ति है। उसके पिता स्व० रामनरायन लाल पुत्र पोहप सिंह को दिनांक 24.06.1976 को भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत सकौआ, विकास खण्ड जसवन्त नगर द्वारा आवासीय पट्टा गाटा की खसरा सं० 50 का 3 डेसीमल का पट्टा दिया गया था। उपरोक्त पट्टा वाली भूमि पर आवेदक का कब्जा रहा और उसके पिताजी की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकारी के रूप में आवेदक का कब्जा दखल चला आ रहा है। इसमें आवेदक के पिताजी के जीवनकाल से ही आधे हिस्से में मकान बना हुआ है तथा शेष आधे हिस्से में आवेदक की पक्की नांदे लगाकर पशुपालन कर रहा है तथा पक्की नींव भी लगी हुई है तथा सरकार द्वारा इसकी घिरौनी भी उपलब्ध करा दी गयी है लेकिन गांव के विपक्षीगण प्रहलाद सिंह, नवाब सिंह, सौरभ व बिट्टा देवी बहुत दबंग टाइप के ठाकुर जाति के व्यक्ति हैं और उसके आधे हिस्से की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस पर पुरानी नींव भरी हुई है। आवेदक जब भी उस पर कुछ भी निर्माण कार्य करना चाहता है तो विपक्षीगण विरोध करना शुरू कर देते हैं तथा उस पर मलमूत्र डालकर गन्दा करते रहते हैं। आवेदक दिनांक 05.03.2023 को समय करीब 4.00 बजे दिन अपने उसी प्लाट पर था कि सभी व्यक्ति प्रहलाद सिंह, नवाब सिंह, सौरभ व बिट्टा देवी अपने–अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर आ गये और माँ–बहिन की भद्दी–भद्दी गाली–गलौज करते हुए आये और बोले साले चमरे तेरे ज्यादा दिमाग खराब हो गये हैं और कहा कि मैं तुझे कोई भी निर्माण करने नहीं देंगे। सभी मिलकर आवेदक को मारने के लिए दौड़े और बोले साला चमरा भाग न पाये। इसको इसी प्लाट में मारकर दफना दो आग का सारा झंझट आज ही खत्म हो जायेगा। आवेदक जान बचाकर अपने घर में घुसा

तो सभी लोग उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस आये और घर में घुसकर माँ–बहिन की भद्दी–भद्दी गाली–गलौज कर लात, घूसों, थप्पड़ों से मारने पीटने लगे। आवेदक की चीख पुकार सुनकर गांव के जयवीर सिंह, भानु प्रताप सिंह आदि बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी और उन लोगों को ललकारा तो सभी व्यक्ति जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। आवेदक ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस नहीं आयी तब आवेदक थाना जसवन्त नगर रिपोर्ट दर्ज कराने गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आवेदक ने दिनांक 20.03.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थनापत्र दिया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पश्चात् वर्तमान प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक ने अपने कथनों के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की कम्प्यूटर प्रति, असल रजिस्ट्री रसीद, छायाप्रति आधारकार्ड एवं छायाप्रति जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना के अभिलेखानुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनों एवं प्रपत्रों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध संज्ञेय अपराध गठित होना प्रतीत होता है। अतः पुलिस से विवेचना कराये जाने के आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०संहिता स्वीकृत किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)
जे०ओ०नं० यू०पी०–6296
विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट/
न्या०कक्ष सं० 2, इटावा।
03.07.2023

Digitally signed by KUMAR PRASHANT
Date: 2023.07.03 16:39:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court